"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 377] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2016—— आश्विन 12, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–8/आठ–परि./2016. —— छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा–79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और संशोधन करना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा–212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के "राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व परिवहन आयुक्त, तृतीय तल, सी–ब्लॉक, इंद्रावती भवन, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,–

नियम–77 के उपनियम (5) के शर्त (तीन) के उपरांत निम्नलिखित को जोड़ा जाए, अर्थात्,–

(चार) केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 86 एवं 88 के तहत राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र से आच्छादित मालवाहनों को छोड़कर राज्य के भीतर संचालित मालवाहनों को जारी किए जाने वाले स्थाई अथवा अस्थाई अनुज्ञापत्र हेतु यान की आयु प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

तथा राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र को छोड़कर मालवाहको को इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व जारी अन्य अनुज्ञापत्र दिनांक 01–08–2017 के पूर्व 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मालवाहनों हेतु 01–08–2017 तथा अन्य वाहनों हेतु 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि के उपरांत उस स्थिति को छोड़कर जबकि ऐसे वाहन को इस अधिसूचना में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार समुचित आयु के वाहन से प्रतिस्थापित कराया जा चुका है, अविधिमान्य माने जाएंगें।

No. F-5-8/VIII-Trans./2016. — The following draft amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 which the State Government in exercising the power conferred by sections 79 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) proposes to make, is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212, of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken in to consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours by the Transport Commissioner Office, Third Floor, Third C-Block, Indrawati Bhawan, Naya Raipur, C.G. shall be considered by the Government of Chhattishgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

After condition (Three) of sub rule (5) of rule-77 the following shall be added, namely:-

(Four) For goods vehicles other than those cover with National Permit under rules 86 and 88 of Central Motor Vehicle Rule 1989, the age of goods vehicle for issuance of temporary or permanent permit for operation within the state shall not be more than 15 years from the date of initial registration.

And, all permits other than national permits issued to goods vehicles before the publication of this notification shall be deemed to be invalid from 01-08-2017 for vehicles which have completed 15 years of age before 01-08-2017 and from the date of completion of 15 years of age for other vehicles unless such vehicle has been replaced by a vehicle of proper age as mentioned in the provision of this notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.